

व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि
रकबा हे. में।

“ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड” द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल अंतर्गत पोणडी-छ.ग./म.प्र. बॉर्डर, पंडरिया-कुई, बैरख-नेवराटोला, कुई-महुली, चिल्फी-तरमा, तरमा-सहसपुर लोहारा, खाड़ी-दमोह, लाखाटोला—पालक, मोहगांव-बोटेसुर, दरई-पिपरखुटा, तरेगांव-बरहापानी, कुई-नेऊर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 208.460 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ—वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.658 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 2.985 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.391 हेक्टेयर कुल 5.034 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के तहत् गैर वानिकी प्रयोजन/प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित है।

व.स.अ. 1980 अंतर्गत कबीरधाम जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि 1247.932 हेक्टेयर है।

वनप्रबलाधिकारी
Divisional Forest Officer
कवर्धा वनमंडल, कवर्धा
Dated: 15/01/2024